राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1. अपील संख्या–1209/07/श्रीगंगानगर.	6.अपील संख्या–1214/07/श्रीगंगानगर.
2. अपील संख्या–1210/07/श्रीगंगानगर.	7. अपील संख्या–924/13/श्रीगंगानगर.
3. अपील संख्या–1211/07/श्रीगंगानगर.	8. अपील संख्या–925/13/श्रीगंगानगर.
4. अपील संख्या–1212/07/श्रीगंगानगर.	9. अपील संख्या–926/13/श्रीगंगानगर.
5. अपील संख्या–1213/07/श्रीगंगानगर.	10. अपील संख्या–927/13/श्रीगंगानगर.

पवन कुमार अग्रवाल पुत्र श्री मोहनलाल अग्रवाल, सिरसा (हरियाणा). .....अपीलार्थी.

बनाम

वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत–'अ', श्रीगंगानगर. .....प्रत्यर्थी.

खण्डपीठ
श्री राजीव चौधरी, सदस्य
श्री के. एल. जैन, सदस्य

उपस्थित : :

श्री डी. कुमार, अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से.
श्री अनिल पोखरणा,
उप–राजकीय अभिभाषक .....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 23/03/2017

निर्णय

1. अपीलार्थी द्वारा छः अपीलें क्रमशः 1209/2007 से 1214/2007 उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग, बीकानेर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा जायेगा) के आदेश दिनांक 30.03.2007 एवं शेष चार अपीलें क्रमशः 924/2013 से 927/2013 अपीलीय आदेश दिनांक 22.01.2013 के विरूद्ध राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 की धारा 85 सपठित राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 धारा 83 व केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 की धारा 9 के तहत प्रस्तुत की गयी हैं।

2. सभी अपीलों में पक्षकार एवं विवादित बिन्दु समान होने से सभी अपीलों का निस्तारण एक ही आदेश से किया जा रहा है। निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक–पृथक रखी जा रही है।

3. उक्त समस्त अपीलें कर निर्धारण वर्ष 1994–95 एवं 1995–96 से सम्बन्धित हैं जिसमें राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 एवं केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 के तहत दिनांक 27.03.1997 को कर निर्धारण आदेश पारित किये गये थे तथा उन्हें पुनः रिओपन करते हुए दिनांक 27.03.1998 को पुनः कर निर्धारण किये गये थे। कर निर्धारण आदेश श्रीगंगानगर की एक पंजीकृत फर्म मैसर्स सतपाल एण्ड कम्पनी के नाम पारित किया गया था एवं कर, ब्याज तथा शास्ति की मांग सृजित की गयी थी। उक्त आदेशों में मैसर्स सतपाल एण्ड कम्पनी के कारोबार में उक्त अपीलार्थी श्री पवन कुमार अग्रवाल पुत्र श्री मोहनलाल अग्रवाल निवासी सिरसा हरियाणा को भी भागीदार मान लिया गया था जिससे अपीलार्थी पवन कुमार पर भी मांग का दायित्व सृजित

23/03/17

लगातार.....2

हो गया था। मैसर्स सतपाल एण्ड कम्पनी के आदेश में जांच के उपरान्त चूंकि अपीलार्थी को भी एक भागीदार माना गया था ऐसी स्थिति में अपीलार्थी द्वारा इन आदेशों के विरूद्ध एक भागीदार के रूप में संशोधन प्रार्थना–पत्र एवं अपीलें भी प्रस्तुत की गई थी जिसमें अपीलार्थी को दिनांक 14.01.2017 के पूर्व तक कोई स्पष्ट राहत नहीं मिली। अपीलार्थी का कथन यह था कि उन्हें अविधिक रूप से इस आदेश में भागीदार माना गया जबकि उनके विरूद्ध कोई साक्ष्य नहीं था तथा न ही वे मैसर्स सतपाल एण्ड कम्पनी को दिये गये पंजीयन प्रमाण–पत्र में भागीदार के रूप में नामांकित थे। उपरोक्त समस्त दस अपीलें जो कर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की गयी हैं वे वास्तव में तथ्यात्मक रूप से वर्ष 1994–95 एवं 1995–96 के चार कर निर्धारण आदेशों के विरूद्ध ही हैं, परन्तु अपीलों की संख्या कर निर्धारण के पश्चात् किये गये विभिन्न संशोधन आवेदन के अस्वीकार होने से एवं उसके विरूद्ध अपीलीय आदेश भी अस्वीकार होने से पृथक–पृथक अपीलें की जाने पर यह समस्त अपीलें सुनवाई हेतु प्रस्तुत हुई हैं।

4. सुनवाई के प्रारम्भ में ही अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक श्री डी. कुमार द्वारा हमारे समक्ष यह तथ्य बता दिया गया है कि इस पूरे प्रकरण में अन्तिम रूप से कर निर्धारण अधिकारी द्वारा दिनांक 14.01.2017 को मैसर्स सतपाल एण्ड कम्पनी श्रीगंगानगर के वर्ष 1994–95 एवं 1995–96 के राजस्थान विक्रय कर अधिनियम एवं केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम के तहत पुनः अन्तिम आदेश पारित कर दिये गये हैं, जिसमें पवन कुमार का नाम भागीदार के रूप में हटा दिया जाना अंकित कर दिया गया है अतः अब पूर्व के समस्त आदेशों के अधीन सृजित मांग का दायित्व समाप्त हो चुका है जिससे उनकी अपीलें सारहीन हो गयी हैं एवं अपीलार्थी के विरूद्ध पारित किये गये विवादित आदेश स्वतः निष्प्रभावी हो चुके हैं।

5. अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा कर निर्धारण अधिकारी के निर्णय दिनांक 14.01.2017 की प्रतियां भी प्रस्तुत की गयी हैं, जिनका अवलोकन करने पर पाया गया कि सतपाल एण्ड कम्पनी के आदेशों में उक्त अपीलार्थी का नाम हटाने के आदेश कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कर दिये गये हैं। अतः अब अपीलार्थी के विरूद्ध पारित आदेश व सृजित मांग निष्प्रभावी हो जाने से अपीलार्थी को किसी अनुतोष की आवश्यकता नहीं रहती है।

6. फलतः अपीलार्थी द्वारा हस्तगत अपीलों के माध्यम से चाहा गया अनुतोष प्राप्त हो जाने से, सभी अपीलें सारहीन हो जाने से खारिज की जाती हैं।

7. निर्णय सुनाया गया।

23/3/2017

(के. एल. जैन)
सदस्य

23/03/17

(राजीव चौधरी)
सदस्य